[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड

अधिसूचना संख्या - 50/2020-केन्द्रीय कर

नई दिल्ली, तारीख 24 जून, 2020

सा.का.नि...........(अ)- केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 164 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद की सिफारिशों पर, केन्द्रीय माल और सेवाकर नियम, 2017 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :--

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय माल और सेवाकर (सातवाँ संशोधन) नियम, 2020 है ।

(2) ये 01 अप्रैल 2020 से प्रवत्तृ होंगे ।

2. केन्द्रीय माल और सेवाकर नियम, 2017 के नियम 7 में, तालिका के स्थान पर निम्नलिखित तालिका को अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

"तालिका

क्रम संख्या	**धारा जिसके तहत संयुक्त उधग्रहण का विकल्प चुना गया है**	**पंजीकृत व्यक्तियों का प्रवर्ग**	**कर की दर**
(1)	**(1 क)**	**(2)**	**(3)**

1.	धारा 10 की उपधारा (1) या (2)	ऐसे विनिर्माताओ से, जो सरकार द्वारा अधिसूचित किए जाए, भिन्न विनिर्माता	राज्य या केंद्रशासित प्रदेश में कारोबार का आधा फीसदी
2.	धारा 10 की उपधारा (1) या (2)	अनुसूची 2 के पैरा 6 के खंड (ख) मे निर्दिष्ट पूर्तियाँ करने वाला पूर्तिकार	राज्य या केंद्रशासित प्रदेश में कारोबार का ढाई फीसदी
3.	धारा 10 की उपधारा (1) या (2)	धारा 10 की उपधारा (1) या (2) के उपबंधो के अधीन संयुक्त उधग्रहण के लिए पात्र कोई अन्य पूर्तिकार	राज्य या केंद्रशासित प्रदेश में कर योग्य माल और सेवाओं की आपूर्तियों के कारोबार का आधा फीसदी
4.	धारा 10 की उपधारा (2 क)	पंजीकृत व्यक्ति जो धारा 10 की उपधारा (1) या (2) के तहत संयुक्त उधग्रहण के पात्र नहीं हैं, लेकिन धारा 10 के उप-धारा (2 ए) के तहत कर सदाय का चयन करने के लिए पात्र हैं।	राज्य या केंद्रशासित प्रदेश में माल और सेवाओं की कर योग्य आपूर्तियों के कारोबार का तीन फीसदी ।" ।

[फा.सं.-सीबीईसी-20/06/09/2019-जीएसटी]

(प्रमोद कुमार)

निदेशक, भारत सरकार

टिप्पण: मूल नियम सा.का.नि. 610(अ), तारीख 19 जून, 2017 द्वारा प्रकाशित अधिसूचना सं. 03/2017-केन्द्रीय कर, तारीख 19 जून, 2017 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित किये गए और सा.का.नि. संख्या 394(अ), तारीख 19 जून, 2020 द्वारा प्रकाशित अधिसूचना सं. 48/2020-केन्द्रीय कर, तारीख 19 जून, 2020 द्वारा अंतिम संशोधन किया गया ।